न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 37/18

1. अधिक सिंह पुत्र बलराम
2. मलखा सिंह पुत्र बलराम
3. शशि देवी पुत्री बलराम
4. चन्दा देवी पुत्री बलराम
5. ज्योति देवी पुत्री बलराम
6. मीरा देवी पुत्री बलराम
7. पुष्पादेवी बेवा हरिओम
8. मनोज प्रतापसिंह पुत्र हरिओम
9. राहुल पुत्र हरिओम
10. राजाराम पुत्र बद्रीसिंह
11. मायादेवी बेवा शिवराम
12. शिवम पुत्र शिवराम, समस्त जाति राजपूत, निवासीयान रामपुरा, पोस्ट फतेहपुर, तहसील मासलपुर जिला करौली

अपीलांटान

बनाम

1. करण सिंह पुत्र बद्रीसिंह
2. जगदीश सिंह पुत्र बद्रीसिंह
3. मुन्नीबाई पत्नी बद्रीसिंह
4. रणसिंह पुत्र बद्रीसिंह, जातियान राजपूत, निवासीयान केसरीसिंह का पुरा, तहसील मासलपुर, जिला करौली
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील मासलपुर, जिला करौली।

रेस्पोटेडान

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली मु0न0 458/2008 निर्णय व डिग्री दिनांक 29.09.2017)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की ओर से श्री अशफाक अहमद
2. रेस्पोडेटान की ओर से श्री विष्णु चन्द बंसल

25-2-20

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

निर्णय

दिनांक 25.02.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली के मु0न0 458/2008 निर्णय व डिग्री दिनांक 29.09.17 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/वादी ने दावा घोषण व इन्द्राज दुरूषती व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर. टी. एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 3438/2088 रकबा 4 बीघा ग्राम फतेहपुर सब तहसील मासलपुर वर्तमान तहसील मासलपुर जिला करौली में स्थित है, जो वादी के खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। वादी ही उक्त आराजी का लगान सरकारी अदा करता रहा है। उक्त आराजी वादी को 25 साल पूर्व राज्य सरकार द्वारा ऐलोट की गयी थी जिसकी

Scanned by CamScanner

खातेदारी वादी के नाम हुयी थी। ऐलोट के समय से ही वादी का उक्त आराजी पर कब्जा है उक्त अराजी से प्रतिवादी नं0 1 का किसी प्रकार का कोई ताल्लुक मालिकाना कब्जाना नहीं रहा है ना ही प्रतिवादी नं0 1 ने वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान किया है। प्रतिवादी नं0 1 के व वादी के बीच हुये सरपंच के चुनाव से एक दूसरे में राजनैतिक मनमुटाव हो गया। तभी से प्रतिवादी नम्बर 1 के मन में बदयान्ति आ गयी है और वह आराजी को प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता की बल्दीयत पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी कानूनी आधार के व बिना औचित्य के जमाबन्दी में दर्ज कर दी है और प्रतिवादी नम्बर 1 इस गलत व निराधार इन्द्राज के आधार पर अपने आपको मालिक मान कर आराजी को वादी से हडपना चाहता है जिसके लिये प्रतिवादी नम्बर 1 ने कल गॉव में आकर ऐलानिया कहा है कि इस वर्ष भूमि को काश्त नहीं करने दूगा यदि प्रतिवादी अपने इस अनाधिकृत उद्देश्य में सफल हो जावेगा तो वादी को बडी भारी अपूर्णिय क्षति होगी और वादी के हक हकूको पर भारी आघात होगा इस लिए वादी प्रतिवादी नम्बर 1 को वादी की आराजी के कब्जे काश्त में व्यवधान नहीं करने को आराजी को रहन बय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करने को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वादी ग्राम केसरी सिंह का पुरा का रहने वाला है और प्रतिवादी नम्बर 1 ग्राम रामपुरा का रहने वाला है आराजी के खातेदारी में प्रतिवादी के पिता का नाम अकबरसिंह दर्ज सम्वत् 2033 के बाद चौसाला नई जमाबंदी तैयार करते समय पटवारी हल्का ने बिना किसी आधार के गलत तरीके से प्रतिवादी नम्बर 1 से साजिश कर कर दिया है जबकि बद्रीसिंह पुत्र अकबरसिंह नाम का कोई व्यक्ति ग्राम केसरी सिंह के पुरा में नहीं है ना ही वादी के अलावा बद्रीसिंह के नाम का कोई राजपूत ग्राम केसरी सिंह का पुरा में था। उक्त इन्द्राज वादी के हक हकूको पर बेअसर प्रभावहीन है और वादी अपने आपको उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है और बद्री सिंह पुत्र अकबर सिंह के इन्द्राज के स्थान पर जमाबंदी में बद्रीसिंह पुत्र प्रेमसिंह इन्द्राज कराने का अधिकारी है। रेस्पो0/वादी द्वारा वाद दिनांक 07.06.1989 को प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा आराजी को अकबर सिंह के नाम इन्द्राज के आधार पर नहीं जोतने देने व भूमि को रहन वय करने की ऐलानिया धमकी देने पर अधिनस्थ न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया था। अन्त में दावा वादी डिक्री किये जाने का इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पा0 का दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील प्राधिकारी
वाई माधोपुर

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अदालत मातहत रूयेदाद मिसल व खिलाफ कानून होने के कारण मंसूखी है। अदालत मातहत ने तनकीयात का फैसला ठोस सबूतो पर आधारित ना कर मात्र कयासी आधारो पर किया है। तनकी नम्बर 1 का फैसला करने में कानूनी भूल की है। तनकी नम्बर 1 आया आराजी खसरा नम्बर 3438/2088 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम फतेहपुर तहसील मासलपुर वादी को 25 साल पूर्व आवंटन होकर वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है इसमें काबिले गौर है कि वादी ने अपने हक में ना तो कोई एलोटमेंट आदेश पेश किया ना ही कब्जे बाबत किसी किस्म की गिरदावरी पेश की है ना ही ऐलोटमेंट का कोई साल सम्वत् पेश किया है जबकि विवादित अराजीयात का खातेदारी बद्रीसिंह पुत्र अकबरसिंह राजपूत निवासी रामपुरा रहा है तथा बद्रीसिंह की फौत के बाद उक्त आराजीयात अपीलांटान के नाम बतौर वारिस रिकार्ड जमाबंदी मं चढ गई। जिस रिकोर्ड को चेलेंज नही किया गया। मात्र बेग आधारों पर बद्रीसिंह पुत्र प्रेमसिंह व उसके वारिसान को खातेदार काश्तकार घोषित करने में कानूनी भूल की है तथा तनकी नम्बर 1 का फैसला निरस्त होने योग्य है। ग्राम रामपुर व केसरीसिंह का पुरा की सीमाए मिली हुई है तथा ग्राम पंचायत फतेहपुर है। अदालत मातहत ने तनकी नं0 2 का फैसला भी मनमाने तरीके पर दिया है तथा यह फाइडिंग के हल्का पटवारी द्वारा वादी के पिता का नाम प्रेमसिंह के स्थान पर अकबरसिंह गलत दर्ज कर दिया' है। यह फाईडिंग अदालत मातहत ने किसी रिकोर्ड के आधार बनाकर नहीं दी है ना ही किसी पुराने रिकार्ड ना ही परिवार राशन कार्ड ना ही वोटर आई डी इत्यादि को देखा गया तथा अपीलांट/प्रतिवादी बद्रीसिंह पुत्र अकबरसिंह राजपूत निवासी रामपुरा के नाम के रिकोर्ड को झूठा मानने में कानूनी भूल की है। रेस्पो0/वादी तनकीयात नम्बर 1 व 2 को साबित करने का भार था जिसे डिस्चार्ज नहीं किया गया। तनकी नम्बर 3 का फैसला भी वादी के खिलाफ करना आवश्यक है। तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार वादी/रेस्पो0 पर था जिसे भी वादी द्वारा सिद्व नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र प्रदर्श 1 ता 3 वादी/रेस्पो0 के पक्ष मे मानकर ही निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 4 अपीलांट के विरूद्व निर्णित करने मे विधिक भूल की है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे जो गवाह कराये गये है तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है जिससे अपीलांट/प्रतिवादीगण की भूमि होना सिद्व होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 के पक्ष मे निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। जबकि स्वयं वादी/रेस्पो0 द्वारा अपनी प्लीडिग मे मौजूदा खाते द्वारा बद्रीसिह पुत्र अकवर सिह के नाम होना माना है। ऐसी सूरत मे रिकार्डेड खातेदार के हक मे धारा 114 साक्ष्य अधिनियम के तहत सही इन्द्राज की अवधारणा की जाती है। इस प्रकार तनकी संख्या 4 का निर्णय अपास्त योग्य है। इसी प्रकार तनकी संख्या 5 का फैसला करने मे अधिनस्थ न्यायालय ने गलती की है। पटवारी से साजिश करने व प्रतिवादी द्वारा

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

चढवाना बिना किसी रिकार्ड के मानने मे कानूनी भूल की है। रिकार्ड व सबूत प्रतिवादी डी डब्लू 1 ता 3 तक को डिसकस ना करने मे कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जुबानी योम आवंटन से वादी के पक्ष का कब्जा मानने मे बगैर किसी रिकार्ड के मानने मे कानूनी भूल की है। जो निरस्त योग्य है। तनकी संख्या 5 व 6 का फैसला शामलाती तौर पर सबूतो के आधारो पर करने मे की सूरत म तनकीयात बहक प्रतिवादीगण फैसला होने योग्य हैं। वादी स्वयं को विवादित आराजी का खातेदार होने की घोषणा कराने के लेश मात्र मुस्तहिक नही है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी समय पर नही होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न कर अपील पेश की गई है। इस प्रकार अपील अन्दर मियाद शमार मानी जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिग्री अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में बताया कि आराजी ख0न0 3438/2088 रकबा 4 बीघा ग्राम फतेहपुर सब तहसील मासलपुर वर्तमान तहसील मासलपुर जिला करौली में स्थित है, जो रेस्पो0 के खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। रेस्पो0 ही उक्त आराजी का लगान सरकारी अदा करता रहा है। उक्त आराजी रेस्पो0 को 25 साल पूर्व राज्य सरकार द्वारा ऐलोट की गयी थी जिसकी खातेदारी रेस्पो0के नाम हुयी थी। ऐलोट के समय से ही रेस्पो0का उक्त आराजी पर कब्जा है उक्त आराजी से प्रतिवादी नं0 1 का किसी प्रकार का कोई ताल्लुक मालिकाना कब्जा नहीं रहा है ना ही प्रतिवादी नं0 1 ने रेस्पो0 के कब्जे काश्त में व्यवधान किया है। प्रतिवादी नं0 1 के व रेस्पो0 के बीच हुये सरपंच के चुनाव से एक दूसरे में राजनैतिक मनमुटाव हो गया। तभी से प्रतिवादी नम्बर 1 के मन में बदयान्ति आ गयी है और वह आराजी को प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता की बल्दीयत पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी कानूनी आधार के व बिना औचित्य के जमाबन्दी में दर्ज कर दी है और प्रतिवादी नम्बर 1 इस गलत व निराधार इन्द्राज के आधार पर अपने आपको मालिक मान कर आराजी को रेस्पो0 से हडपना चाहता है। यही वाद कारण उत्पन्न होने पर रेस्पो/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनो के आधार पर विवाधक बिन्दु विरचित किये जाकर प्रत्येक विवाधक का पूर्ण रूप से विवेचन कर दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यनन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा कराये गये गलत इन्द्राज का गलत मानकर ही उक्त निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। इस प्रकार अपीलांटान की अपील खारिज फरमाइ जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये

व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

कि नामा0 संख्या 373 प्रदर्श 3 , सिवायचक भूमि ख0न0 2088 रकबा 4 बीघा किस्म बारानी दोयम बद्री सिह पुत्र प्रेम सिह राजपूत साकिन केशरी सिह का पुरा को दिनांक 9.8.62 को आवंटित होने के पश्चात दिनांक 30.4.65 को तस्दीक किया गया है। नकल जमाबंदी सम्वत 2030 वाके ग्राम फतेहपुर के खतोनी संख्या 935 पर ख0न0 3438/2088 रकबा 4 बीघा बद्री सिह पुत्र प्रेम सिह राजपूत साकिन केशरीसिहपुरा के नाम अंकित है। नकल जमाबंदी सम्वत 2034 से 2037 प्रदर्श 2 वाके ग्राम फतेहपुर के खतौनी संख्या 473 पर ख0न0 3438/2088 रकबा 4 बीघा बद्री सिह पुत्र अकबर सिह राजपूत साकिन केशरीसिहपुरा के नाम अंकन है। परन्तु यह अंकन बद्री सिह पुत्र अकबर सिह के नाम कैसे हुआ इस प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इससे पूर्व के अंकन जो बद्री सिह पुत्र प्रेम सिह के नाम है सही होना स्पष्ट करते है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तनकीवार विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण उपरान्त ही पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टव्य नही होती है। इसिलिए अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली के मु0न0 458/2008 निर्णय व डिग्री दिनांक 29.09.2017 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.2.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

25.2.20

(बी. एल. रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.02.26 14:50:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: